कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 982 दिनांकः– 10.11.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा–नवाटोली (कोलेबिरा) में 132/33 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/JH/Substation/35830/2018 कुल–3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 2096 दिनांक 20.10.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत ग्रीड सब–स्टेशन, मौजा–नवाटोली (कोलेबिरा) में 132/33 के0वी0 सब–स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/JH/Substation/35830/2018 कुल–3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु वन विभागीय पत्रांक 3843 दिनांक 03.10.2019 द्वारा कुल 14 शर्तो पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत स्टेज-I में लगाये गये 'क' से 'ढ' तक कुल 14 शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 2096 दिनांक 20.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के प्रतिवेदनानुसार शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् हैः–

क्र०सं	शर्ते	अनुपालन की स्थिति
क	वन भूमि का वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। Annexure-I
ख	प्रयोक्ता अभिकरण से मानवीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 3.32 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV मद की राशि रू0 20,78,320.00 मात्र कॉरपोरेशन बैंक सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में तदर्थ कैम्पा खाता सं0–150727335830032 IFSC No.CORP0000371 में चालान सं0– 7335830032 दिनांक–08.09.2020 द्वारा जमा किया गया है। Annexure- XV
ग	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। Annexure-II, III & IV
घ	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A मद में CAMPA खाता में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नवत् हैः– NPV मद में 20,78,320.00 C.A मद में 28,79,566.00 **49,57,886.00** कुल उनन्चास लाख सतावन हजार आठ सौ छेयासी रू0 मात्र कॉरपोरेशन बैंक सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में तदर्थ कैम्पा खाता सं0–150727335830032 IFSC No.CORP0000371 में चालान सं0– 7335830032 दिनांक–08.09.2020 द्वारा जमा किया गया है। Annexure- XV
ङ	प्रस्तावित वन भूमि में ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 59 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्धता दी गई है। Annexure-V

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\(कोलेबिरा) मौजा-नवाटोली सब-स्टेशन 3.32 हे0.docx

10/11

च	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 59 वृक्षों के बदले 10 गुणा अर्थात् 590 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 590 पौधों के रोपण हेतु 10 व प्राक्कलन के अनुरूप C.A मद में राशि 28,79,566.00 रू मात्र कॉरपोरेशन बैंक सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोधी रोड न दिल्ली–110003 में तदर्थ कैम्पा खाता सं0-150727335830032 IFSC No.CORP0000371 में चाला सं0– 7335830032 दिनांक–08.09.2020 द्वारा जमा किय गया है। Annexure- XV
छ	ग्रिड से जो तार बाहर खींचे जाय, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से ऊंचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनक द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure-VII
ज	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure-VIII
झ	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त्त लगाई जाती है, तो उन शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure-IX
ञ	वनभूमि पर किसी का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure-X & XI
ट	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी। जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी। ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure-X & XI
ठ	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure- XII
ड	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure- XIII
ढ	उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नही के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को यह शर्त मान्य है। इस हेतु उनके द्वारा बचनबद्वता दी गई है। Annexure- XIV प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त शर्त्तों में से किसी भी शर्त्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उच्च पदाधिकारियों को सूचित करते हुए वन संरक्षण अधिनियम् 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 2096 दिनांक 20.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि U/A द्वारा स्टैज–I शर्तो में बिनिदिष्ट सभी मदो की आवश्यक राशि जमा कर C.A Levies Format भरते हुए कार्यानुमति की मांग की गई है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज–I स्वीकृति के शर्तो का अनुपालन कर दिया गया है, अथवा बचनबद्धता दी गई है। साथ ही पोर्टल पर ऑन–लाईन किया गया है। अतः अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर 1 वर्षो के लिए कार्यानुमति प्रदान करने एवं 3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाये। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, (HoFF) राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु–यथोक्त।
अनुपालन प्रतिवेदन तीन–प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, राँची– 834002
e-mail- rccfranchi@gmail.com, rccf-ranchi@gov.in Ph. (0651) 2481907

पत्रांक 2096 दिनांक 20/10/2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषयः– **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा–नवाटोली (कोलेबिरा) में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु 3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय कार्यालय ज्ञापांक 238 दिनांक 25.03.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विभागीय पत्र संख्या 3843 दिनांक 03.10.2019 द्वारा झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पक्ष में सिमडेगा वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा–नवाटोली (कोलेबिरा) में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु 3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर 14 (चौदह) शर्त्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के पत्रांक 1527 दिनांक 09.10.2020 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल द्वारा समर्पित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल द्वारा विहित प्रत्र में Compensatory Levies की राशि जमा करने की सूचना के साथ कार्य अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया गया है। शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा विहित प्रपत्र में Compensatory Levies राशि जमा किये जाने की सूचना 05 प्रतियों में भेजते हुए अनुरोध है कि कार्यानुमति प्रदान पर विचार किया जा सकता है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
20/10/2020
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

Anup

(101) 107

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cfgumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-221236(O), 223052(R)

पत्रांक 1527 / दिनांक 09-10-2020

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा– नवाटोली (कोलेबिरा) में 132 / 33 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 851 दिनांक 20.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा सिमडेगा जिलान्तर्गत मौजा– नवाटोली (कोलेबिरा) में 132 / 33 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 3.32 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–1 की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा के पत्रांक 2341 दिनांक 01.10.2020 द्वारा 07 (सात) प्रतियों में इस कार्यालय को समर्पित किया गया है, जिसकी 06 (छः) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0 :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,
08/10/20

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गुमला।

मुख्य वन संरक्षक, राँची
सं0 4139
दि0 14/10/20

14/10/2020